दिनेश विजय (निदेशक)

माँ भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा

सन्देश

मानव आज जीवन की प्रत्येक दिशा में उतरोत्तर प्रगति करता जा रहा हैं | चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या आत्म ज्ञान का | आधुनिक युग में प्रगति का चक्र जिस रथ पर घूम रहा है उसके पहिये बन चुके हैं | पुरुष और नारी | आधुनिक युग की नारी भी विज्ञान, समाज एवं संस्कृति की प्रगति का अनिवार्य अंग बन चुकी है | अंग बनने के साथ-साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नारी प्रगति व विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं | ऐसी स्थिति में नारी शिक्षा को बढ़ावा देना न केवल नारी उत्थान का विषय है वरन सामाजिक प्रगति में मजबूती देना हैं |

माँ भारती शिक्षा समिति ने 1982 में समाज में शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं सरकार का सहयोग करने के उद्देश्य से एक प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की तथा अपने सहयोगियों की लगन एवं अथक परिश्रम के बल पर आज शिक्षा के प्राथमिक स्तर से सफलता के सोपान पर चढ़ते हुए 1998 में माँ भारती बालिका महाविद्यालय की स्थापना की तथा यही महाविद्यालय सत्र 2006-07 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गया हैं और उसने सरकार को सहयोग करने हेतु अपनी मजबूत स्थिति तैयार कर ली हैं | यहीं नहीं सफलता की सीढ़ी पार करते हुए इस महाविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी हैं |

माँ भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय संस्था अपने कर्तव्यों को समझकर स्वार्थ, संकीर्णता, आलस्य और प्रमाद के मार्ग को त्यागकर, उदारता, पुरुषार्थ और प्रगति का मार्ग अपनाती हुई निरंतर विकास की ओर बढ़ रही हैं | यही कारण है कि कुल 24 वर्षों में ही इस महाविद्यालय ने अन्य महाविद्यालयों की तुलना में श्रेष्ठतम परिणाम दिए हैं जो महाविद्यालय की श्रेष्ठता की परिचायकता के साथ-साथ उसके स्वर्णिम भविष्य का आभास कराते हैं |

महाविद्यालय को गौरव दिलाने में जहाँ सुमित बाल विद्यालय शिक्षा विकास समिति का योगदान है वहीँ महाविद्यालय में कार्यरत्त व्याख्याताओं की अथक मेहनत, विद्यार्थियों की लगन व अभिभावकों के विश्वास का संबल भी है |

विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास के लिए सुमित बाल विद्यालय शिक्षा विकास समिति विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं सहृदय नागरिकों से विनीत निवेदन करते है कि जिस शिक्षा रूपी हवन करने का कार्य इस समिति ने अपने हाथ में लिया है उसमें सहयोग रूपी घी डालनें में हमें आप पूर्ण सहयोग करेंगे तभी हम इस पुनीत कार्य को करने में सफल होंगे | इसी आशा व सहयोग की अपेक्षा के साथ ....

दिनेश विजय
चेयरमेन
माँ भारती ग्रुप ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोटा

सन्देश

शिक्षा आत्मा की प्यास है | जिसकी पूर्णाहुति आत्मज्ञान से होती है |

अतः यह कहा जा सकता है कि अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये शिक्षा

की विशेष आवश्यकता है | कठिन प्रयत्नों से भी शिक्षा को प्राप्त किया जाना

चाहिये | जो व्यक्ति इसकी और ध्यान नहीं देता और अपने समय को व्यर्थ ही

नष्ट किया करता है, वह मनुष्य जन्म के फल से सदा वंचित रहता है |

शिक्षा मनुष्य की मलिनताओं को मिटाकर जीवन को उज्जवल बनाती

है | शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सम्पूर्ण विकास होता है | शिक्षा से विनम्रता

आती है | विनम्रता से योग्यता बढ़ती है | योग्यता से परिपक्वता आती है |

परिपक्वता से प्रमाणिकता बढ़ती है |

प्रमाणिकता व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है |

दिनेश विजय

प्रबंध निदेशक

माँ भारती ग्रुप ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोटा

सन्देश

प्रिय छात्रों, जैसे ही हम आशा और नई ऊंचाइयों को छूने के सपनों से भरे इस नए शैक्षणिक वर्ष में कदम रख रहे हैं, मैं कुछ चीजों के महत्व को दोहराना चाहती हूं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। माता-पिता को याद रखना चाहिए कि बच्चों को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके मन में जो भी लक्ष्य हों उन्हें आसान और सुखद तरीके से हासिल करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, ताकि हम उनमें से प्रत्येक में प्रतिभा के विशेष स्पर्श की खोज कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य हमारे बच्चों को सोचना सिखाना और तथ्यों पर तर्क करने की क्षमता विकसित करना है। छात्रों को अपने समय की योजना बनाने और प्राथमिकता देने तथा उसके प्रभावी उपयोग के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। भविष्य आपका है; इसलिए, आपकी ज़रूरत दुनिया में सक्रिय भागीदारी के लिए खुद को तैयार करने की है। यह भागीदारी मांग करती है कि आप अच्छी तरह से सूचित बनें और इसलिए खुद को एक अग्रणी की तरह विकसित करें और अंततः जिम्मेदार पुरुषों और महिलाओं के रूप में विकसित हों। "हम हमेशा अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य के लिए अपने युवाओं का निर्माण कर सकते हैं"।

डॉ. श्वेता सक्सेना
प्रधानाचार्य (कॉलेज विंग)
माँ भारती ग्रुप ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोटा

महाविद्यालय की विशेषताएँ

- *शिक्षा की गुणवत्ता*
- *दृढ़ संकल्प*
- *समयबद्धता*
- *विश्वसनीयता*
- *शिष्टता*
- *कटिबद्धता*
- *कर्मठता उद्यमता परोपकारिता*
- *मित्रता*
- *समर्पणता*
- *चिंन्तनता*

प्रवेश संबंधी सूचना

1. विवरणिका में लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें | सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें अन्यथा विलंभ शुल्क देय होगा |
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा | इसलिए पूरक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को भी निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले लेना चाहिए |
3. प्रवेश के सम्बन्ध में सभी कक्षाओं के लिए इस महाविद्यालय में वहीँ नियम लागू होंगे जो राज्य सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा अन्य महाविद्यालयों के लिए घोषित किये गये हैं |
4. कक्षा के जिस संकाय में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा उसमें सामान्यता परिवर्तन नहीं किया जायेगा | तिथि के बाद विषय परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी |
5. निर्धारित तिथि पर योग्य विद्यार्थीयों की सूची सुचना-पट्ट पर लगाई जावेगी | प्रवेश हेतु योग्य घोषित होने के पश्चात् निर्धारित समय में महाविद्यालय शुल्क जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जावेगा |
6. प्रवेश के सम्बन्ध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा | वे चाहें तो किसी भी प्रवेश को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है |
7. राज्य सरकार, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय से सम्बंधित सूचनायें समय-समय पर सूचना पट्ट पर लगाई जाती है | विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे सूचना पट्ट का नित्य अवलोकन करें |

प्रवेश नीति

सत्र 2024-2025

प्रथम भाग : स्नातक पाठ्यक्रम

1.2 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता (बी.ए., बी.एससी., बीसीए, इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड. /बी.एससी. बी.एड.)

	संकाय	पात्रता	प्रतिशत
अ	कला	अर्हकारी परीक्षा में अधिकतम अंकों का प्रतिशत	48
ब	विज्ञान	अर्हकारी परीक्षा में अधिकतम अंकों का प्रतिशत	50
स	बीसीए	अर्हकारी परीक्षा में अधिकतम अंकों का प्रतिशत	50
द	इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड. /बी.एससी. बी.एड.	PTET से आवंटन	

टिप्पणी :-

1. कला एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के दो वर्ग (सेक्शन) में कुल 160 विद्यार्थियों तक प्रवेश दिया जा सकेगा |
2. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में किसी कक्षा/विषय हेतु प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में वह कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा |
3. **इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक की उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होगी |**
4. विभिन्न संकायों के स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के निम्नांकित संकायों के आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकेगा |

आवेदित संकाय	विद्यालय स्तर की अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला	कोई भी संकाय
विज्ञान	केवल विज्ञान संकाय
बीसीए	कोई भी संकाय
इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड. /बी.एससी. बी.एड.	PTET की अनुपालना

संकाय परिवर्तन

(□) किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद अपने संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर उनका संकाय परिवर्तन तब ही किया जा सकेगा जब –

(□) इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हो तथा

(□) परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के अंक इच्छित कक्षा में अंतिम प्रविष्ट विद्यार्थी के अंकों से कम न हो

(□) उपरोक्त (अ) में वर्णित शर्तों के अधीन संकाय/विषय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन में ₹50 हस्तांतरण शुल्क भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा |

पूरक घोषित होने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश

पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक ही प्रवेश ले सकेंगे | यदि उन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा |

स्नातक पाठ्यक्रम

मां भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्तमान सत्र में विज्ञान, कला, व्यावसायिक एवं इंटीग्रेटेड बी.एससी.बी.एड. /बी.ए. बी.एड. में निम्नलिखित विषय के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी

कला

हिंदी साहित्य

इतिहास

संस्कृत

अंग्रेजी साहित्य

राजनीति विज्ञान

भूगोल

लोक प्रशासन

समाजशास्त्र

अर्थशास्त्र

चित्रकारी

गृह विज्ञान

कंप्यूटर अनुप्रयोग

विज्ञान

रसायन शास्त्र

वनस्पति विज्ञान

जीव विज्ञान

भौतिक शास्त्र

गणित

व्यावसायिक

बीसीए

नोट:

(अ) बी.ए., बी.एससी. व बीसीए प्रथम वर्ष में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा पर्यावरण शिक्षा भी अनिवार्य विषय के रूप में होगी |

(ब) छात्र अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं तीन विषयों को लेने के लिए स्वतंत्र है किंतु महाविद्यालय के समय सारणी एवं व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी से अपेक्षा की गई है कि विषय का चयन करते समय वे महाविद्यालय प्राचार्य से परामर्श लें |

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

एम.एस.सी. - वनस्पति शास्त्र

- रसायन शास्त्र
- भौतिक शास्त्र
- प्राणी शास्त्र

उपलब्ध स्थान - 30(प्रत्येक विषय में)

प्रवेश के मापदंड:

क्रम	प्रवेशार्थी का प्रकार	पाठ्यक्रम	मानदंड
अ	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.एस.सी.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55%
ब	राजस्थान राज्य के बाहर के अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.एस.सी.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक

शुल्क भुगतान संबंधी सूचनायें

1. समस्त वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक ही किश्त में लिया जाएगा |
2. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथि को महाविद्यालय में संपूर्ण राशि जमा कर कार्यालय से रसीद प्राप्त कर ली जाएगी
3. जो विद्यार्थी ऐसे शुल्क को जो किसी माह विशेष में महाविद्यालय को देय हो, माह के अंत तक भी जमा नहीं करेंगे उसका नाम उसका नाम महाविद्यालय से काट दिया जाएगा | उसके पुनः प्रवेश पर नियमानुसार समस्त देय राशि एवं पुनः प्रवेश पर विचार किया जाएगा |
4. शुल्क निश्चित रूप से अग्रिम देय है और किसी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा |
5. महाविद्यालय शुल्क प्राप्ति की रसीद को सुरक्षित रखा जाए जो की आवश्यकता के समय दिखाई जा सके |
6. सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी को लिखित रूप से आवेदन पत्र प्राचार्य को देना होगा अन्यथा महाविद्यालय का शुल्क जमा नहीं कराने के कारण उसका नाम महाविद्यालय द्वारा स्वतः ही काट दिया जाएगा |

परीक्षा शुल्क

1. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ देना होगा |
2. समय पर परीक्षा शुल्क न देने पर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क लिया जाएगा |

सामान्य नियम

प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार (समस्त संकाय हेतु)

प्राचार्य निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं |

1. ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जानबूझ कर छुपाए हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया गया हो |
2. ऐसा विद्यार्थी जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो |

3. ऐसा अभ्यर्थी जिसने आवेदन पत्र जमा कराने की घोषित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो |
4. ऐसा अभ्यर्थी जिसने महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो |
5. ऐसा अभ्यर्थी जिनका प्रवेश संबंध विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य न हो |
6. ऐसा अभ्यर्थी जो पूर्व वर्षों में किसी बड़े दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या विश्वविद्यालय परीक्षा काल में कदाचार का दोषी रहा हो |
7. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारादंडित किया गया हो |
8. ऐसा विद्यार्थी जिसके विरुद्ध किसी शैक्षिक अथवा अशैक्षिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो |
9. ऐसा विद्यार्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो |
10. ऐसा अभ्यर्थी जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक /अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौच करने का दोषी हो |
11. विद्यार्थी के किसी अवांछनीय आचरण के कारण |
12. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण |

महत्वपूर्ण निर्देश

1. महाविद्यालय शिक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है उपस्थित प्रतिशत कम होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा में बैठने के अनुमति नहीं दी जावेगी |
2. उपस्थिति की गणना सत्र प्रारंभ की तिथि से होगी |
3. नियमित या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फॉर्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तथा उपस्थित की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा |
4. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित गणवेश में ही विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आना होगा |
5. महाविद्यालय आते समय परिचय पत्र लाना अनिवार्य है परिचय पत्र खो जाने पर ₹50 जमा करवा कर नया परिचय पत्र लेना होगा |
6. फीस की राशि संभाल कर रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिखाई जा सके |

अनुशासन संबंधी दिशा निर्देश

महाविद्यालय में अनुशासन रखने हेतु अनुशासन समिति ने कुछ प्रावधान निश्चित किए है-

1. महाविद्यालय द्वारा प्रति माह निर्धारित फीस समय पर जमा करना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा।
2. महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थित नहीं है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा परिक्षाओं से वंचित कर दिया जावेगा। महाविद्यालय प्रशासन इस संबंध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को अनिवार्य रूप से महाविद्यालय गणवेश में उपस्थित होना होगा अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। किसी आकस्मिक कारण पर उसे प्राचार्य से अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
4. विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खाली कालांश के दौरान अनावश्यक शोर नहीं करेंगें तथा विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय सम्पति को क्षति पहुंचाना अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा विद्यार्थी द्वारा किए गए नुकसान पर आर्थिक दण्ड देय होगा।
5. यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से काट दिया जायेगा। अतः विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे लम्बे अवकाश पर जाने से पूर्व आवश्यक रूप से लिखित प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य से अनुमति लेकर जाए।
6. विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वह महाविद्यालय स्टाफ के किसी भी सदस्य से दुर्व्यवहार नहीं करेगा । इस प्रकार की त्रुटि अक्षम्य होगी, जिस पर अनुशासन समिति द्वारा उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है। निर्धारित गणवेश में नहीं आने वाली विद्यार्थी को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में अनुमति देय होगी अथवा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड देय होगा।

8. माता-पिता एवं अभिभावक से भी अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों की महाविद्यालय में उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति तथा आचरण संबंधी बातों की समय समय पर जानकारी लेते रहें। इसके लिए महाविद्यालय में 10 से 12 बजे के मध्य आकर सम्बन्धित प्राध्यापकों से मिल सकते हैं।

9. अवांछित व्यवहार के अनुरूप चरित्र प्रमाण-पत्र में इन्द्राज किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करना विद्यार्थी का कर्तव्य होगा, यदि कोई विद्यार्थी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिसमे प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन एवं मनन की पूरी सुविधा मिल सके।

1. परिचय पत्र के बिना विद्यार्थी का पुस्तकालय में प्रदेश वर्जित होगा।
2. पुस्तकालय कार्ड पर केवल पाठ्यक्रम पुस्तकें ही प्राप्त की जा सकेगी। संदर्भ की पुस्तकें, प्रश्न-पत्र अथवा समाचार पत्र व पत्रिकाएं पुस्तकालय से बाहर किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।
3. पुस्तकालय में शान्ति बनाये रखना हर विद्यार्थी का परम् कर्तव्य है।
4. पुस्तकालय के अन्दर ही वाचनालय की व्यवस्था की गई है। जहां पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध है।
5. पुस्तकालय से पुस्तक चुराना जघन्य अपराध है। इसके लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

छात्र परिषद

महाविद्यालय में विद्यार्थी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विद्यार्थी संघ के चुनाव महाविद्यालय के संविधान के अनुसार होते हैं जिसमें अध्यक्ष, सचिव व कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव होंगे बाकी पद अध्यक्ष व सचिव द्वारा भरे जायेंगे। (राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार)

सह-शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के सर्वंगीण विकास सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में योगदान करने हेतु महाविद्यालय में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं –

1. NSS-100 विद्यार्थी
2. Rover & Ranger-24-24 प्रत्येक में

महाविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक परिषदों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपने-अपने विषयों की परिषदों का सदस्य बनना एवं उनके कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। इन शैक्षणिक परिषदों का उल्लेख विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति विशेष रुचि जागृत करना है। ये परिषद विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए विचार गोष्ठियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिताएं तथा परिसंवादों के आयोजन के साथ साथ शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित करेगी। ललित कलाओं के प्रति रूचि जागृत करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक परिषदें भी गठित की जायेगी। इन परिषदों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों यथा संभाषण, संगीत, चित्रकला, नृत्य, नाटक इत्यादि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जावेगा। विद्यार्थियों की लेखन संबंधी कौशल को विकसित एवं प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष एक पत्रिका का प्रकाशन करने का प्रयत्न किया जावेगा, जिसमें महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य विविध गतिविधियों की जानकारी व भावी योजनाओं का विवरण प्रकाशित किया जायेगा। इससे विद्यार्थियों के खेल, कविताओं के अतिरिक्त महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं महाविद्यालय के प्रति अनुराग रखने वाले विद्वानों के लेख सम्मलित किए जा सकेंगे।

महाविद्यालय में खेलकूद की अच्छी व्यवस्था है इसके लिए पृथक से खेल प्रभारी नियुक्त है। महाविद्यालय की खेलकूद के क्षेत्र में भागीदारी होगी साथ ही राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का यहां के विद्यार्थियों को अवसर दिया जायेगा।

विद्यार्थियों के लिए सदभावना पूर्ण वातावरण व उनकी समस्याओं के निदान हेतु महाविद्यालय में प्रमुख समितियाँ व उनके प्रभारी निम्न प्रकार है –

1. **एंटी-रैगिंग सेल**

   डॉ. सुषमा अग्रवाल

2. **शिकायत निवारण कक्ष**

   श्रीमती प्रियंका शर्मा

3. **विशेष सेल**

   डॉ. राकेश राजोरा

4. **महिला सेल एवं यौन उत्पीड़न विरोधी समिति**

   डॉ. मीनाक्षी शर्मा

उपलब्ध छात्रवृत्ति

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्ति: ST, SC, OBC, SBC, विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति एवं विकलांगो के पुत्र/पुत्री के लिए छात्रवृत्ति ।)
2. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना |
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (कॉलेज निदेशालय द्वारा देय) |
4. जनजाति छात्राओं का उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता |
5. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना |
6. मेधावी छात्रा उच्च शिक्षा योजना |

<u>नोट:</u> छात्रवृत्ति विभागों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार देय होगी।

महाविद्यालय शुल्क
(प्रवेश के समय देय)

1. स्नातक पाठ्यक्रम

खेल शुल्क	50/-
विकास शुल्क	500/-
पुस्तकालय शुल्क	150/-
कुल शुल्क	**700(महाविद्यालय के शिक्षण शुल्क में सम्मिलित)**

कला वर्ग	**8000/- प्रति सेमेस्टर 16000/- (दोनों सेमेस्टर)**
कला वर्ग (प्रायोगिक शुल्क)	**1000/- (प्रति प्रायोगिक) प्रति सेमेस्टर (एक प्रायोगिक विषय)**
विज्ञान वर्ग	**12000/- प्रति सेमेस्टर 24000/- (दोनों सेमेस्टर)**
बीसीए	**15000/- प्रति सेमेस्टर 30000/- (दोनों सेमेस्टर)**
बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड.	**27000/- PTET के द्वारा तय शुल्क**
एम.एससी. वनस्पति शास्त्र	**16000/- प्रति सेमेस्टर**
एम.एससी. रसायन शास्त्र	**18000/- प्रति सेमेस्टर**
एम.एससी. भौतिक शास्त्र	**18000/- प्रति सेमेस्टर**
एम.एससी. प्राणी शास्त्र	**16000/- प्रति सेमेस्टर**